

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 468 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/01028

अगवान :-

1. रेवन्ताराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामनिवास पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर

बनाम

वादीगण

1. मुखराम पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
2. श्योदानराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
3. सीमा पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
4. मन्शाराम पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
5. हनुमान पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
6. मंजु पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580 है व खाता संख्या 358/348 की कुल 0.40850 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,4 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1,4 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1,4 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6 का प्रतिवादी संख्या 1,4 के साथ बराबर का हक-हिरसा है।

प्रतिवादी संख्या 3,6 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1,4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3,6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3,6 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

1, 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मधाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580 है व खाता संख्या 358/348 की कुल 0.40850 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 4 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 का प्रतिवादी संख्या 1, 4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3, 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्वध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580 है व खाता संख्या 358/348 की कुल 0.40850 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज है।

नामान्तकरण संख्या 1007 के अनुसार वाद भूमि मधाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मधाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार

  
उपखण्ड अधिकारी  
बोहर

अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने स्वीकार किया जाकर इकट्ठा पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज हक हिस्सा में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 बहिय एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिय के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 358/348 की कुल 0.4050 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रालगन 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया।



उपखण्ड अदालत (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अगवान :-

1. रेवन्ताराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामनिवास पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मुखराम पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
2. श्योदानराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
3. सीमा पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
4. मन्शाराम पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
5. हनुमान पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
6. मंजु पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 668 सन 2020 निर्णय दिनांक- 29/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज हक हिरसा में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 बहिव एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिव के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 358/348 की कुल 0.4050 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अंगवान :-

1. रेवन्ताराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रागनिवास पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मुखराम पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
2. श्योदानराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
3. सीमा पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
4. मन्शाराम पुत्र मधाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
5. हनुमान पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
6. मंजु पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 668 सन 2020 निर्णय दिनांक- २९/१०/२०२०

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि पर्चा डिक्री दिनांक 29.10.2020 में रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580हेक् में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज के हक हिस्सा में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 बहिव एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिव अंकित है के स्थान पर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 185/177 की कुल 26.6580हेक् में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज के हक हिस्सा में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 बहिव एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 बहिव संशोधित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक २५/११/२०२१ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ )